[2015] 13 एस. सी. आर 1057

हरियाणा और अन्य

बनाम

देवेंद्र सागर और अन्य

(2011 की सिविल अपील संख्या. 318 आदि)

07 सितंबर, 2015

[विक्रमजीत सेन और अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपतिगण]

धारा-4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। धारा- 4, 6, 5 ए, 11ए और 17- अधिसूचना दिनांक 18.01.2001- धारा 17 (1) और 17 (4) के अंतर्गत तात्कालिकता प्रावधान का आह्वान करते हुए घोषणा अंतर्गत धारा 6 अगले दिन जारी की गई।-अधिसूचना और घोषणा को भूमि मालिकों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई- न्यायालय ने 07.02.2002 को अंतरिम आदेश पारित किया- राज्य ने 08.02.2002 को पुरस्कार पारित किया,- अंतरिम आदेशों को नजरअंदाज कर दिया और अनुसूची भूमि के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया- आगे उच्च न्यायालय ने 12.1.2004 दिनांकित आदेश द्वारा इस आधार पर घोषणा को रद्द कर दिया कि राज्य 80 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा; और यह कि यह पात्र नहीं था क्योंकि घोषणा की तारीख से एक साल

तक राज्य पुरुस्कार पारित करने में विफल रहा -हालांकि, उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों को धारा 5ए के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर तहत आपत्तियां दायर करने की अनुमति दी और राज्य को भी घोषणा धारा 6 के अंतर्गत नयी घोषणा जारी करने की भी अनुमति दी, यदि उसे उन आपत्तियों में सार मिलता है तो- 11.02.2004 को दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया- ताजा घोषणा धारा के अंतर्गत 6 30.12.2004 को जारी गई थी- भूमि मालिकों ने धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांकित 18.01.2002 साथ ही घोषणा दिनांकित 30.12.2004 को फिर से चुनौती दी- उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि घोषणा दिनांकित 30.12.2004 धारा 4 के तहत अधिसूचना वैधानिक अवधि से परे जारी की गई थी और वह पुरस्कार यह भी दो साल के भीतर पारित नहीं किया गया था, इस प्रकार धारा11ए का फाउल हो रहा था- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की पूरी कवायद तीन साल के भीतर पूरी करनी होती है। जिस तरह से अधिग्रहण किया यह राज्य की ओर से चूक है- तत्काल प्रावधान के आह्वान करते समय कोई मुआवजा नहीं दिया गया था- जब एक बार राज्य ने धारा 17 का आह्वान किया, इसके लिए 80% मुआवजे का भुगतान करना आवश्यक था- धारा 17 (3ए) और 17 (3बी) अप्रासंगिक रूप से प्रस्तुत नहीं किये जा सकते- घोषणा दिनांकित 30.12.2004 को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे प्रारंभिक घोषणा की निरंतरता के रूप में नहीं माना जा

सकता है- आदेश दिनांकित 12.1.2004 आदेश भूस्वामियों के लिए गलत और प्रतिकूल था और इसलिए राज्य को उस पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती-किसी भी पक्ष को न्यायालय की गलती के लिए भुगतना नहीं करना चाहिए- उच्च न्यायालय का आदेश बरक़रार रखा गया।

धारा 17 राज्य द्वारा-आह्वान- मुआवजे का 80 प्रतिशत भुगतान किए बिना- माना गया- राज्य को धारा17 के दूसरे भाग को त्यागते हुए एक भाग का आह्वान करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है- यदि एक विशेष कार्य करने का तरीका एक क़ानून के तहत निर्धारित किया गया है, तो कार्य उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।

धारा 4 और 6-भूमि अधिग्रहण- भूमि-मालिकों को मुआवजा का भुगतान- लाभार्थी द्वारा ली गई भूमि का कब्जा- उसके बाद अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी गई- माना गया- 2013 के अधिनियम की धारा24 के अनुसार एक अधिग्रहण के अंतिम बनने के लिए आवश्यकताएँ प्रुस्कार का पारण, मुआवजे का भुगतान और कब्जा लेना हैं- वर्तमान मामले में, क्योंकि भूमि-मालिकों ने अधिग्रहण को अंतिम बनने की अनुमति दी थी, वे इसके बाद इसे चुनौती नहीं दे सकते- मामले के तथ्यों में, अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने में भी देरी हुई-इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही को बरकरार रखा गया भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013- धारा 24.

क़ानूनों की व्याख्या-जब्तीकरण विधान- की व्याख्याः जब्तीकरण कानून जैसे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए-विधान। आदेश- के लिये चुनौती- कब-कब-माना गया- बिना अधिकार क्षेत्र के आदेश एक शून्य है-इसकी अयोग्यता किसी भी कार्यवाही में किसी भी चरण एक विषय हो सकती है, यहां तक कि निष्पादन के चरण में भी।

2011 की सी.ए. संख्या 318 और 2011 की सी.ए. संख्या 459-460 को खारिज करते हुए और और सी. ए. संख्या 461-462 की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

2011 की सी.ए. संख्या 318 और 2011 459-460:

1. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की पूरी कवायद तीन साल के भीतर पूरी करनी होती है। इस बार प्रिस्क्रिप्शन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन भूमि मालिकों की भूमि राज्य की प्रतिष्ठित क्षेत्र की निरंतर शक्तियों द्वारा जब्त कर ली गई है, वह अधिग्रहण के समय निकट में उनकी संपत्ति के लिए बाजार मूल्य प्राप्त करें। इस प्रकार ये लोग एक वैकल्पिक सम्पत्ति खरीदने की स्थिति में रहेंगे, जो कि अन्यथा रूप में निश्चित रूप से संभव नहीं होगा यदि क्षतिपूर्ति पुरस्कार को देरी के बाद लागू किया जाता है। अदालतों को इन व्यक्तियों की राज्य द्वारा अनुचित व्यवहार से रक्षा करने के लिए हमेशा सतर्क और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। संसद उस

चोट के लिये जीवित थी जो भूमि मालिकों को अपरिहार्य रूप से पहुंचेगी यदि अधिग्रहण की कार्यवाही समय द्वारा सीमित नहीं होती है, क्योंकि मुआवजा अधिसूचना की तारीख के साथ तय किया गया है। संसद ने, सरकारी उदासीनता के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के रूप में सुधार प्रदान किया है। [पैरा 3] [1068- सी-ई]

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम देवेंद्र कुमार (2011) 12 एस. सी. सी. 375; किरण सिंह बनाम चमन पासवान (1955) 1 एससीआर 117; डॉ. जोगमितर सैन भगत बनाम निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा 2013 (8) एससीआर 77: (2013) 10 एससीसी 136- **पर भरोसा किया**।

पद्म सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य 2002 (2) एससीआर 383: (2002) 3 एस. सी. सी. 533-**संदर्भित।**

2. भले ही संपत्ति का स्वामित्व अब भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 300ए के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अब संविधान यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानूनी प्राधिकार के अलावा वंचित नही किया जायेगा। वह प्राधिकार, अन्य बातों के साथ, एल. ए. अधिनियम की धारा 5 ए के अनुसार आपत्तियाँ दायर करने के

अधिकार स्वरूप भूमि मालिकों के प्रदर्शन को अस्वीकार करने का उद्देश्य उस स्थिति में जब कि धारा 17 को लागू किया जाना है, कलेक्टर द्वारा अनुमानित 80 प्रतिशत के भुगतान की एक आवश्यकता है। जब्तीकरण कानून जैसे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। अपीलार्थी राज्य को धारा 17 का दूसरे को त्यागते हुए एक भाग का आह्वान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। धारा 17 (3 ए) और 17 (3 बी) को अप्रासंगिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। "कानून के सिद्धांत ने लंबे समय तक यह तय किया कि यदि किसी भी कानून के तहत एक कार्य करने का विशेष तरीका निर्धारित किया जाता है, तो उस कार्य को उस तरीक से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।" [पैरा 6] [1071 जी; 1072-ए-डी, ई]

3. अपीलार्थी राज्य की ओर से अधिग्रहण का संचालन करने के तरीके में खामियां हैं। धारा 17 (3) के तहत क़ानून द्वारा अभिनिर्धारित 80 प्रतिशत तो छोड़िए उस समय जब तात्कालिक प्रावधान लागू किए गए थे कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया था।

यह कवायद एक अनंतिम या तदर्थ पुरस्कार जिसमें कलेक्टर द्वारा भू मालिकों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का अनुमान होता है, पारित करके किया जानी चाहिए थी। [पैरा 5] [1070-बी-सी]

बाबू वर्गीज बनाम केरल बार काउंसिल (1999) 3 एससीसी 422: 1999 (1) एससीआर 1121; नजीर अहमद बनाम राजा सम्राट ए.आई.आर. 1936 पी. सी. 253; राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. सिंघारा सिंह ए. आई. आर 1964 एस. सी. 358; हुसैन घाडियाली बनाम गुजरात राज्य (2014) 8 एससीसी 425- **पर भरोसा किया**।

टेलर बनाम टेलर (1875) 1 Ch D 426-**संदर्भित**।

4. प्रथम दृष्टया, धारा 5ए आपत्तियाँ दाखिल करने के समय शुरू करने के लिए आदेश की तिथि, अर्थात 12.1.2004 से गणना करनी होगी, और आगे धारा 4 अधिसूचना को उसी तारीख को जारी होना मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होना प्रतीत होता है। पूर्ववर्ती याचिका में उच्च न्यायालय को पिछले मुकदमे में धारा 4 अधिसूचना को व्यक्तिगत रूप से मानकर या इस प्रकार आदेशित परिस्थितियों में, रेम में मानकर रद्द कर दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं को आपत्तियां दाखिल करने का आदेश देकर, उच्च न्यायालय ने एक गम्भीर स्थिति पैदा कर दी है। किंतु उच्च न्यायालय के किसी कार्य के कारण किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं कर्वाया जा सकता है। [पैरा 7] [1072-जी; 1073-ए-बी]

5. एल. ए. अधिनियम की धारा 11ए के अनुसार, घोषणा करने के दो वर्ष के अंदर पुरुस्कार हो जाना चाहिये, जो कि इस मामले में वह

आवश्यकता पूरी की गई थी। पिछले आदेश की तारीख से इस अवधि की गणना करने का कोई आधार नहीं था जैसा कि डिवीजन बेंच ने किया है। [पैरा 8] [1073-जी-एच]

6.1 डिवीजन बेंच का आदेश दिनांक 12.1.2004, जिसने एक नई धारा 6 घोषणा दाखिल करने की अनुमति दी, की राज्य द्वारा आलोचना की जानी चाहिये थी, क्योंकि इसके निष्कर्ष पद्म सुंदरा राव मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के अनुपात के विपरीत थे। जमींदार भी इस आदेश को समान रूप से चुनौती दे सकते थे। हालांकि, राज्य का पास और आह्वान पर वस्तुतः उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए, इसे इसकी उपेक्षा या न्यायिक मूर्खता के लिए माफ नहीं किया जा सकता है और इसकी विफलताओं लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि संबंधित नागरिकों कोउनकी भूमि को उसकी परिचर आय के नुकसान के साथ जब्त करने से कठोर परिणामों का सामना करना पड़ता है। [पैरा 10] [1074-एफ-एच; 1075-ए-बी]

6.2 डिवीजन बेंच ने अधिसूचना के साथ-साथ घोषणा को भी रद्द करने के अपने फैसले की भविष्यवाणी की है, जो विडंबना यह है कि पिछली खंड पीठ इसका पालन करने में विफल रही थी। पद्म सुंदर राव निर्णय में संवैधानिक पीठ ने माना कि धारा 6 (1) में भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट है, और समय अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि यह

विधायी उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। अपीलार्थी राज्य का तर्क है कि 30.12.2004 दिनांकित घोषणा प्रारंभिक घोषणा की निरंतरता है इस प्रकार स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि ऐसा निष्कर्ष पद्म सुंदरा राव द्वारा निर्धारित समय की सख्त व्याख्या और धारा 6 की स्पष्ट भाषा के सामने होगा।. यदि विधानमंडल ने इस तरह निरंतरता की अनुमति देने का इरादा किया होता तो, उसे इसके लिए विशेष रूप से ऐसा प्रावधान करके कर दिया होता, जैसा कि इसने ठहराव और निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा कवर की गई अवधि के लिए किया है। इसके अलावा, अपीलार्थी राज्य किसी ऐसे गलत आदेश पर भरोसा नहीं कर सकता है जिसने उत्तरदाताओं के अधिकारों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया। अदालत की गलती के लिए किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। [पैरा11] [1077- ई-एच; 4178-ए]

6.3 चूँकि मुआवजे की गणना धारा 4 अधिसूचना की तारीख को भूमि के मूल्य के आधार पर की जाती है, डिवीजन बेंच का आदेश दिनांक 12.1.2004 के परिणामस्वरूप भूमि मालिकों को 2001 की दरों पर मुआवजा मिल रहा है भले ही पुरस्कार अंततः 2006 में पारित किया गया था और उत्तरदाताओं को मुआवजे का भुगतान किया जाना बाकी है। यदि डिवीजन बेंच के आदेश ने घोषणा को निरस्त कर दिया होता, तो इसके परिणामस्वरूप पूरा अधिग्रहण समाप्त होने पर, अपीलार्थी राज्य को अधिग्रहण की कार्यवाही को फिर से शुरू करना पडता जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को नई अधिसूचना के समय बाजार के वर्तमान

मूल्य पर मुआवजा मिल जाता। इसलिए, केवल पिछली खंड पीठ के गलत और पूर्वाग्रहपूर्ण आदेश के आधार पर 30.12.2004 की घोषणा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 11] [1078-ए-डी]

पद्म सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य 2002 (2) एस.सी.आर. 383 : (2002) 3 SCC 533- पर भरोसा किया गया।

7. पूरे अधिग्रहण को रद्द करने की कार्यवाही स्पष्ट रूप से व्यक्त की जानी चाहिए। एक या दो भूमि मालिकों के संदर्भ में अधिग्रहण कार्यवाही का रद्दीकरण पूरा अधिग्रहण के रद्द होने का प्रभाव नहीं डालता है। जो भूस्वामी अधिग्रहण की कार्यवाही से पीड़ित हैं उन्हें इसे कम से कम पुरस्कार की घोषणा होने और भूमि का कब्जा सरकार द्वारा लिया जाने से पहले चुनौती देनी होगी। हालांकि, आम तौर पर, अदालतें उन लोगों की सहायता के लिये आती हैं, जो इसके पास आते हैं। कुछ मामलों में बाद वाले सुस्त याचिकाकर्ता को देर से और आसानी से बैंडवैगन कूदते हुए बिना ब्याज के दूसरों को दिया जाने वाले, उच्चतम, मुआवजा प्राप्त करने के लिए अनुमति देकर इक्विटी को बराबर किया जाता है। [पैरा 9] [1074-बी-एफ]

श्याम नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1993) 4 एससीसी 255: 1993 (1) पूरक। एस. सी. आर. 533; अभय राम, दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन (1999) 7 एससीसी 44: 1999 (1) पूरक। एस. सी.

आर. 650; दिल्ली प्रशासन बनाम। गुरदीप सिंह उबन (2000) 7 एससीसी 296: 2000 (2) पूरक। एससीआर 496; अध्यक्ष और एम. डी., टी. एन. एच. बी. बनाम एस. सरस्वती 2015 ए.आई.आर. 2315; ए. पी. औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड बनाम चिंतामनेनी नरसिम्हा राव (2012) 12 एस. सी. सी. 797-पर भरोसा किया।

2011 की सी. ए. सं. 461-462

8.1 अपील में मुआवजे का भुगतान उन प्रतिभागियों को किया गया है किया गया है जिनकी भूमि अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का अधिकार के कब्जे में है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 यह स्पष्ट करती है कि अधिग्रहण की अंतिमता प्राप्त करने के लिए तीन आवश्यकताएँ हैं- पुरस्कार का पारित होना, मुआवजे का भुगतान और कब्ज़ा लेना, जो सभी यहाँ मिलते हैं। [पैरा 13] [1078- जी-एच; 1079-ए]

8.2 इन अपीलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता भी डिवीजन बेंच के निर्णय दिनांकित 12.3.2008 के समक्ष पक्षकार नहीं थे। जैसा कि उस निर्णय ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि यह विवादित अधिग्रहण प्रक्रिया से प्रभावित सभी भूमि मालिकों पर लागू होगा, यह पार्टियों के लिये सीमित दायरे में था। इन अपीलों में प्रतिभागी उत्तरदाताओं ने निर्णय तिथि

12.3.2008 पारित होने के बाद अधिग्रहण को चुनौती देने के लिये केवल रिट याचिका दायर की थी। निर्णय तिथि 12.3.2008 तक, इन उत्तरदाताओं ने अधिग्रहण को स्वीकार किया था और इसे अंतिम होने दिया था, और इसलिए वे इसे एक निर्णय पर निर्भरता करके जो उनके लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं थी स्थापित करके चुनौती देने की कोशिश नहीं कर सकते थे। [पैरा 13] [1079-बी-डी]

8.3 सिविल अपील सं. 462 में आदेश दिनांकित 12.4.2013 द्वारा कई प्रोफार्मा उत्तरदाता आरोपित किये गये थे, जिन्होंने दिनांक 12.3.2008 के फैसले के काफी बाद 2010 में एक रिट याचिका दायर करके अधिग्रहण को चुनौती दी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये उत्तरदाताओं ने भी प्रारंभ में अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए सहमति दी और केवल अनुकूल निर्णय जो इनसे संबंधित या संबंधित नहीं था, पर भरोसा करने की कोशिश करके इसे देर से चुनौती दी। [पैरा 14] [1079-एफ]

मामला कानून संदर्भ

2002 (2) एससीआर 383	संदर्भित किया गया	पैरा 4
(2011) 12 एससीसी 375	पर भरोसा किया गया	पैरा 4
(955) 1 एससीआर 117	पर भरोसा किया	पैरा 4

	गया	
2013 (8) एससीआर 77	पर भरोसा किया गया	पैरा 4
1999 (1) एससीआर 1121	पर भरोसा किया गया	पैरा 6
(1875) 1 सीएच डी 426	संदर्भित किया गया	पैरा 6
ए. आई. आर 1936 पी. सी. 253	पर भरोसा किया गया	पैरा 6
1954 एससीआर 1038	पर भरोसा किया गया	पैरा 6
1964 एससी 358	पर भरोसा किया गया	पैरा 6
(2014) 8 एससीसी 425	पर भरोसा किया गया	पैरा 6
1993 (1) पूरक। एससीआर 533	पर भरोसा किया गया	पैरा 9
1999 (1) पूरक। एससीआर 650	पर भरोसा किया गया	पैरा 9
2000 (2) पूरक एससीआर 496	पर भरोसा किया गया	पैरा 9
2015 ए.आई.आर. 2315	पर भरोसा किया	पैरा 9

	गया	
(2012) 12 एस. सी. सी. 797	पर भरोसा किया गया	पैरा 9

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं 318/2011

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ चंडीगढ़ के 2006 की सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1123 में दिनांकित 12.03.2008 निर्णय और आदेश से।

के साथ

2011 का सी. ए. सं. 459-462

अमरेंद्र शरण, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय बंसल, ए. ए. जी., गोविंद गोयल, संजय कुमार, यादव, अंकित गोयल, डॉ. कैलाश चंद, सी. डी. सिंह, गौरव यादव, सचिन जैन, सुश्री कुमुद लता दास, संजय कुमार पाठक, सुश्री मधु मूलचंदानी, एस. एन. गुप्ता, सूर्यकांत, अधिवक्ता, उपस्थित पार्टियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय विक्रमजीत सेन, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

2011 की सिविल अपील सं. 318।

1. यह अपील 2006 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1123 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्णय दिनांकित 12.3.2008 की शुद्धता पर सवाल उठाती है, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 1465, 2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 2166, 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 7066, 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 7353 को भी अनुमति दे दी थी। और सिविल अपील सं। 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 318 और 2011 की सिविल रिट याचिका संख्या 459-462 इन निर्णयों पर क्रमशःहमला करती हैं।। यह उल्लेख करने योग्य है कि 2011 की संयोजित सिविल अपील सं. 535 को निर्विवाद निवेदन पर उत्तरदाताओं/भूमि मालिकों के लिए विद्वान वकील द्वारा किया गया था। उस अपील में, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.3.2015 द्वारा निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया; निवेदन यह था कि जन सूचना दिनांकित 8.4.2010 ने उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया था।

2. हरियाणा राज्य ने जैसा कि अनुसूची में उल्लेख किया गया है कुरुक्षेत्र में फॉल-स्टॉर्म सीवर, एक सीवेज-ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने और एक श्मशान (शमशान घाट) के लिये गाँव खेरा मारकंडा में 12.18 एकड़ भूमि और ग्राम रतगल में 11.64 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 ('संक्षिप्तता के लिये एल. ए. अधिनियम') की धारा 4 के तहत 18.1.2001 को एक अधिसूचना जारी की

थी। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ, अपीलकर्ता राज्य ने धारा 17 (1) और 17 (4) में निहित तात्कालिक प्रावधानों को भी लागू किया था, जिससे भूमि मालिकों (जिनमें से कुछ हमारे सामने उत्तरदाता हैं) को एल. ए. अधिनियम की धारा 5ए के तहत आपत्तियां दायर करने का अवसर पाने से वंचित कर दिया। एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के तहत अगले ही दिन, यानी 19.1.2001 को एक घोषणा जारी की गई थी। यह इस मोड़ पर था कि उत्तरदाताओं/भूमि मालिकों ने धारा 4 अधिसूचना दिनांक 18.1.2001 और धारा 6 घोषणा दिनांक 19.1.2001 को चुनौती देते हुए 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 2503 2002 की रिट याचिका संख्या 8696 (किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् याचिकाकर्ता नीलम राम यथा नाम की 2002 के सिविल रिट याचिका संख्या 4887 के साथ) दायर की।

3. यह इंगित करना उचित होगा कि जब तक डिवीजन पीठ द्वारा रिट याचिकाओं में 7.2.2002 को अंतरिम आदेश पारित किए गए, कानून में निर्धारित अधिसूचना से घोषणा चरण तक आगे बढ़ने के लिए एक वर्ष की अवधि कानून पहले ही बीत चुकी थी। यह दर्ज करना भी प्रासंगिक है कि दिनांक 7.2.2002 के अंतरिम आदेश के बावजूद, अपीलार्थी राज्य ने अगले दिन यानि 8.2.2002 को एक पुरस्कार पारित किया, स्पष्ट रूप से उन अंतरिम आदेशों से बेखबर। इसने अनुसूचित भूमि के कुछ भागों का भी कब्जा लिया। वह एक वर्ष प्रिस्क्रिप्शन का उल्लंघन किये जाने पर, उक्त अधिग्रहण अपनी वैधानिक मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता लेकिन सुविधा के

लिए कि राज्य द्वारा कानूनी औचित्य के बिना इस घटना में तात्कालिक प्रावधानों को लागू किया गया था। एल. ए. अधिनियम के तहत बनाई गई समय सारणी को वापस बुलाए जाने की आवश्यकता है। अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, प्रभावित भूमि मालिकों को तीस दिनों के भीतर आपत्तियाँ दाखिल करना आवश्यक है। हालांकि कलेक्टर द्वारा आपत्तियों के निपटारे के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, यह कवायद अधिसूचना जारी करने के एक वर्ष के भीतर अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचनी चाहिए। यदि ये कार्य किए जाते हैं, तो सरकार को कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण का आदेश लेने का निर्देश देना चाहिए जो कि एक कानूनी प्रावधान है जो सतहीपन को धूमिल करता है। कलेक्टर को भी विचाराधीन भूमि को चिह्नित करना और मापना, भूमि पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सार्वजनिक सूचना देना और मुआवजे आदि के लिए दावे आमंत्रित करना चाहिये। इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त किसी भी आपत्ति या अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के बाद घोषणा के दो साल के भीतर एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर पूरी अधिग्रहण कार्यवाही विघटित हो जाएगी। बेशक न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि को बाहर रखा जाएगा। संसद जैसा कि स्पष्ट रूप से गवाह है, उस चोट के लिए जीवित थी जो अपरिहार्य रूप से भूमि मालिकों को होने वाली थी यदि समय के अनुसार निर्धारित अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गई तो, क्योंकि मुआवजे की तारीख अधिसूचना से निर्धारित की जाती है। पूरी

कवायद तीन साल के भीतर पूरी करनी होगी। इस प्रकार इस बार प्रिस्क्रिप्शन का स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि जिन भूमि मालिकों की भूमि पर राज्य की प्रतिष्ठित डोमेन शक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है उन्हें उनकी संपत्ति का अधिग्रहण के समय की निकटता से बाजार मूल्य के बराबर से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये लोग वैकल्पिक संपत्ति खरीदने की स्थिति में होंगे, जो कि सस्म्भव नहीं हो पायागा यदि प्रतिकार पुरुस्कार देरी के बाद लागू किया जाता है तो। अदालतों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इन व्यक्तियों को राज्य के अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिये। संसद ने, सरकारी उदासीनता के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के रूप में सुधार प्रदान किया है।

4. 12.1.2004 को दिए गए एक संक्षिप्त आदेश द्वारा, जो कि पद्म सुंदरा राव बनाम तमिलनाडु राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 533, कालखंड में है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायालय ने, इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता राज्य ने भूमि मालिकों को 80 प्रतिशत मुआवजा के भुगतान की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया था और यह कि यह तात्कालिकता के मामले के रूप में योग्य नहीं था क्योंकि अपीलार्थी राज्य के पारित होने के बाद से धारा 6 की घोषणा के बाद एक वर्ष के भीतर पुरस्कार प्रकाशित करने में विफल रहा, को बाद में रद्द कर दिया। हालांकि, पुनः शर्त लगाते हुए कारणों से, डिवीजन बेंच ने

याचिकाकर्ताओं को इसके समक्ष साथ में तीस दिनों के भीतर धारा 5 ए आपत्तियां दायर करने की अनुमति दी और अपीलार्थी राज्य को इस स्थिति में एक नई धारा 6 घोषणा जारी करने की अनुमति दी कि उसे इन आपत्तियों में कोई सार नहीं मिला। डिवीजन बेंच द्वारा निर्देश नहीं दिए जा सकते थे। इसके बजाय, डिवीजन बेंच को बस धारा 6 घोषणा को निरस्त कर देना चाहिए था, जिस बिंदु पर धारा 4 अधिसूचना समाप्त हो गई होगी, इस तथ्य के कारण कि घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए एक वर्ष की अवधि पहले ही बीत चुकी थी। ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण बनाम देवेंद्र कुमार (2011) 12 एस. सी. सी. 375 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार के लिए अधिग्रहण के साथ धारा 4 के चरण से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। किरण सिंह बनाम चमन पासवान (1955) 1 एस. सी. आर.117 के अनुपात को लागू करते हुए जिसका इस बात के साथ डॉ. जोगमितर सैन भगत बनाम निदेशक स्वास्थ्य सर्विसेज, हरियाणा (2013) 10 एस. सी. सी. 136 में भी अनुसरण किया गया है कि अधिकारिता के बिना डिक्री एक शून्य है और इसकी अयोग्यता किसी भी कार्यवाही में किसी भी स्तर पर और यहां तक कि एक निष्पादन का चरण में भी विषय हो सकती है, बेंच का उक्त आदेश नजरअंदाज किया जा सकता है। हम मानते हैं कि इस आदेश के ऑपरेटिव हिस्से को उन कारणों के लिए का जो बाद में स्पष्ट हो जाएगा, पुनः उत्पन्न करना उचित है:

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, हमारे विचार में, न्याय का हित पूरा होगा, यदि हम अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा दिनांक 19.1.2001 और उसके बाद की गई सभी कार्यवाही को रद्द कर देते हैं, इसके बाद याचिकाकर्ताओं को आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर करने की स्वतंत्रता है, जिसे स्वाभाविक रूप से राज्य या राज्य द्वारा गठित प्राधिकारी द्वारा सुना जाएगा, वह उद्देश्य कानून के अनुसार और याचिकाकर्ताओं को उचित सुनवाई देने के बाद यदि आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से, सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने की शक्ति में होगी।

याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है। हालांकि, पार्टियां को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए मुक्त किया जाता है। (जोर दिया गया)"

5. अपीलार्थी राज्य की ओर से अधिग्रहण का संचालन करने के तरीके में खामियां हैं। धारा 17 (3) के तहत क़ानून द्वारा अभिनिर्धारित 80 प्रतिशत तो छोड़िए उस समय जब तात्कालिक प्रावधान लागू किए गए थे

कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया था। यह कवायद एक अनंतिम या तदर्थ पुरस्कार जिसमें कलेक्टर द्वारा भू मालिकों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का अनुमान होता है, पारित करके किया जानी चाहिए थी। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य कानून से अनजान है और इसके लिए भूमि मालिकों की दुर्दशा अभेद्य है जिनकी आजीविका को वस्तुतः विक्षिप्त कर दिया गया है। धारा 6 में विशेष अवलोकन की आवश्यकता है और हम सुविधा के लिए इसके प्रासंगिक भागों को निकाल रहे हैं। और, संदर्भ की सुविधा के लिए भी, धारा 17 (3ए) को इस बात पर जोर देते हुए पुनः प्रस्तुत किया गया है कि वे प्रावधान केवल तभी सही और उचित रूप अपनाये जा सकते थे जब राज्य सरकार द्वारा अपने कलेक्टर के माध्यम से उसके द्वारा अनुमानित 80 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया गया होता।

धारा 6- घोषणा कि भूमि की एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिये आवश्यकता है -(1) इस अधिनियम का भाग VII के प्रावधानों के अधीन, जब उपयुक्त सरकार धारा 5ए, उप-धारा (2) के अंतर्गत तैयार की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, संतुष्ट होती है, कि कोई विशेष भूमि की किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए या किसी कंपनी के लिए आवश्यकता है, इअसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिये अधिकृत किसी अधिकारी के दस्तखत के तहत इस आशय की घोषणा की जाएगी, और अलग-अल्ग धारा 4, उपधारा एक के तहत एक ही अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली किसी भी भूमि के विभिन्न

भागों के सम्बंध में समय-समय पर घोषणाएं की जा सकती हैं, भले धारा 5 ए, उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट या अलग-अलग रिपोर्ट बनाई गई हों जहां भी आवश्यक हो)।

बशर्ते कि धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी विशेष भूमि के संबंध में कोई घोषणा, _ _

(i) XXX XXX XXX

(ii) भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने के बाद अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं की जायेगी।

17. तात्कालिकता के मामलों में विशेष शक्तियाँ -

XXX XXX XXX

(3 क) उप धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी भी भूमि पर कब्जा करने से पहले, उप-धारा (3) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना कलेक्टर, -

(क) उसके द्वारा अनुमानित ऐसी भूमि के लिए 80 प्रतिशत क्षतिपूर्ति का निविदा भुगतान इच्छुक व्यक्ति जो इसके हकदार हैं, को करेगा, और

(ख) उन्हें इसका भुगतान करेगा, जब तक कि किसी धारा 31 उप-धारा (2), में उल्लिखित किसी एक या अधिक आकस्मिकताओं ने उन्हें

रोक न दिया हो, और जहां कलेक्टर को इस तरह से रोका जाता है, तो धारा 31 उप-धारा (2) के प्रावधान इसके लिए प्रावधान दो को छोडकर), लागू होंगे जैसा कि वे उस धारा के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिये लागू होते हैं।

6. भले ही संपत्ति का स्वामित्व अब भारतीय संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 300ए के तहत संवैधानिक संरक्षण दिया गया है जिसे संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 के तहत संविधान में शामिल किया गया था जिसने अनुच्छेद 19 (1) (च), अर्थात।, "संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करना", को हटा दिया गया था। संविधान अब गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार के अलावा अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। हमने इसका उल्लेख इस कारण से किया है कि यदि संघ या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना चाहती है तो ऐसा केवल कानून के अधिकार से ही किया जा सकता है। वह अधिकार, जैसा कि मुखर रूप से जाहिर है, अन्य बातों के साथ-साथ, इस घटना में कि, एल. ए. अधिनियम की धारा 5ए के अनुरूप आपत्तियां दायर करते हुए भूमि मालिकों को प्रदर्शन अधिकारों से वंचित करने का उद्देश्य से धारा 17 को लागू किया जाता है, कलेक्टर द्वारा अनुमानित मुआवजे का 80 प्रतिशत का भुगतान करने की आवश्यकता है। जब्तीकरण कानून जैसे एल. ए. अधिनियम कानून को अनिवार्य रूप से सख्ती से समझा जाए। अपीलकर्ता

राज्य को एक भाग को त्यागते को धारा 17 के एक भाग को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकतीहै। धारा 17 (3 ए) और 17 (3 बी), जिन्हें 68 24.9.1994 से प्रभावी 1964 का अधिनियम 68 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था निरर्थक नहीं हो सकती है। इस संबंध में, हमें बाबू वर्गीज बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल (1999) 3 एस. सी. सी. 422 में इस न्यायालय का निर्णय याद दिलाया जाता है जिसमें कहा किः यह बुनियादी कानून के सिद्धांत ने लंबे समय तक यह तय किया है कि यदि एक विशेष कार्य करने का तरीका किसी भी कानून के तहत निर्धारित किया गया है, तो उस कार्य को इस तरह से किया गया होना चाहिए या बिल्कुल नहीं।"इस नियम की उत्पत्ति का पता टेलर बनाम टेलर (1875) 1 सी एच डी 426 में निर्णय से लगाया जा सकता है जिसका अनुसरण बाद में नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर ए.आई.आर. 1936 पी. सी. 253 में किया गया था और जिसे राव शिव बहादुर बनाम विंध्य प्रदेश ए. आई. आर. 1954 एस.सी. 322, यू. पी. राज्य बनाम सिंघारा सिंह ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 358 और हुसैन घाडियाली बनाम गुजरात राज्य (2014) 8 एससीसी 425 में बरकरार रखा गया है।

7. प्रथम दृष्टया, 5 ए आपत्तियां दायर करने के समय की गणना आदेश जारी होने की तिथि अर्थात 12.1.2004 से की जायेगी और आगे सिवाय उसी तिथि के लिये धारा 4 अधिसूचना के जारी होने पर विचार करने के सिवाय कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। अतः धारा 6 की

घोषणा 11.1.2005 तक हो जानी चाहिए। हालांकि, हम दोहराते हैं कि उच्च न्यायालय को केवल धारा 4 की घोषणा को को व्यक्तिगत रूप में रद्द कर देना चाहिए था, या यदि परिस्थितियाँ ऐसी थी तो रेम में। याचिकाकर्ताओं को आपत्तियाँ दायर करने के लिए अनुमति नहीं देने का आदेश देकर, उच्च न्यायालय ने जगह पर आने के लिए एक तीखी स्थिति पैदा की है। लेकिन, जैसा कि ट्राइट है, न्यायालय के किसी कार्य के कारण किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं करवाया जा सकता है। उत्तरदाताओं ने 11.2.2004 को आपत्तियाँ दायर कीं जो थी सितंबर 2004 में खारिज कर दे गई थी जिससे 30.12.2004 को एक नई धारा 6 घोषणा पारित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद उत्तरदाताओं ने 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 1123, 2006 रिट याचिका संख्या 1465 और 2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 2166 के संदर्भ में धारा 4 अधिसूचना दिनांकित 18.1.2002 और धारा 6 घोषणा दिनांकित 30.12.2004 को चुनौती दी।

8. रिट याचिकाओं के दूसरे साल्वो में, डिवीजन पीठ ने दिनांकित 12.3.2008 के विवादित फैसले में पाया है कि दूसरी धारा 6 घोषणा एल. ए. अधिनियम में विहित अवधि के गुजर जाने के बाद पारित की गई थी क्योंकि धारा 4 अधिसूचना 18.1.2001 को जारी की गई थी। इसमें उल्लेख किया गया है कि इस न्यायालय ने पद्म सुंदर राव में अभिनिर्धारित किया था कि वैधानिक अवधि विषय को एक सख्त निर्माण प्रदान किया जाना चाहिए; और अधिनियम में ही इसका प्रावधान किया गया है। डिवीजन बेंच

ने भी यह पाया गया कि भले ही दूसरी धारा 6 घोषणा क ओ पिछली खंड पीठ के आदेश दिनांकित 12.1.2004 की तारीख से एक वर्ष की अवधि का अर्थ लगाते हुए वैध के रूप में स्वीकार किया जाना था, अपीलकर्ता राज्य दो वर्षों के भीतर एक पुरस्कार पारित करने में विफल रहा था, इस प्रकार एल. ए. अधिनियम की धारा 11ए का उल्लंघन होता है। धारा 4 अधिसूचना, धारा 6 घोषणा और इसलिए उनके अनुसार की गई सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। हम पाते हैं कि बाद के अवलोकन में त्रुटि को नोट करना उचित है। एल. ए. अधिनियम की धारा 11ए के अनुसार, घोषणा की तारीख के दो साल के अंदर पुरुस्कार हो जाना चाहिये, वह आवश्यकता इस मामले में पूरी हुई थी। पूर्ववर्ती आदेश की तिथि से इस अवधि की गणना करने का ऐसा कोई आधार नहीं था, जैसा कि खंड पीठ ने किया है।

9. यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही को रद्द करने को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने श्याम नंदन प्रसाद बनाम. बिहार राज्य (1993) 4 एस. सी. सी. 255, अभय राम, दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदिप सिंह उबन (1999) 7 एस. सी. सी. 44, दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदिप सिंह उबन (2000) 7 एस. सी. सी. 296 और अध्यक्ष और एम. डी., टीएनएचबी वी. एस. सरस्वती (2008 की सिविल अपील सं 736-737 में निर्णय 11.5.2015 पर दिया गया) में इस स्थापित और सुसंगत दृष्टिकोण को दोहराया और दोहराया कि

एक या दो भमि मालिकों के आग्रह पर अधिग्रहण प्रक्रिया का रद्दीकरण पूरी कार्यवाही का रद्दीकरण का प्रभाव नहीं रखता है। द्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड बनाम चिंतामनेनी नरसिम्हा राव (2012) 12 एससीसी 797, में इस न्यायालय ने इस स्थापित प्रस्ताव को दोहराया है कि जो भूमि मालिक अधिग्रहण की कार्यवाही से पीड़ित हैं उन्हें उनके लिये कम से कम पुरस्कार घोषित होने और भूमि का कब्जा सरकार द्वारा लिये जाने से पहले चुनौती देनी होगी। इस न्यायालय के कई फैसलों पर चर्चा की गई है। उन सभी का एक बार फिर से विश्लेषण करने की आवश्यकता को दूर करने के लिये इस न्यायालय में कई निर्णयों पर चर्चा हो चुकी है। हालाँकि, आम तौर पर, अदालतें उन लोगों की सहायता के लिए आती हैं जो उसके पास जाएँ। कुछ मामलों में बाद वाले सुस्त याचिकाकर्ता को देर से और आसानी से बैंडवैगन कूदते हुए बिना ब्याज के दूसरों को दिया जाने वाले, उच्चतम, मुआवजा प्राप्त करने के लिए अनुमति देकर इक्विटी को बराबर किया जाता है।

10. अपीलकर्ता राज्य ने यह कहते हुए अपील दायर की है कि पक्षकार डिवीजन बेंच आदेश दिनांकित 12.1.2004 से बाध्य हैं, जिसने एक नई धारा 6 घोषणा दाखिल करने की अनुमति दी। यह एक विशेष प्रस्तुति है क्योंकिक्योंकि राज्य को उस आदेश पर हमला करना चाहिए था क्योंकि इसके निष्कर्ष इस न्यायालय की संविधान पीठ के पद्म सुंदरा राव के अनुपात के विपरीत थे। यह तर्क दिया जा सकता है कि भू मालिक इस आदेश को समान रूप से चुनौती दे सकते थे। हालांकि, राज्य के आह्वान पर

वस्तुतः उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए, इसे इसकी उपेक्षा या न्यायिक मूर्खता के लिए माफ नहीं किया जा सकता है और इसकी विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से इसलिए है कि संबंधित नागरिकों को उनके परिचर आय के नुकसान के साथ उनकी भूमि के अधिग्रहण के परिणाम की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। अपीलकर्ता राज्य ने आगे तर्क दिया कि प्रारम्भिक धारा 6 घोषणा विधिक समयावधि के अंतर्गत थी और तकनीकी दोषों के उपचार पर, मूल धारा 6 घोषणा जारी रही। अपीलकर्ता राज्य ने यह भी तर्क दिया कि कुछ भूमि का कब्जा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारा पहले ही ले लिया गया है और इसलिए उन मामलों ने पद्म सुंदर राव का अनुपात के अनुसार अंतिमता प्राप्त कर ली है, जो निकाले गए परिच्छेद में उपलब्ध है:

11. यह इंगित किया जा सकता है कि जब धारा 6 के तहत सीमा की अवधि गणना की जाती है तब अधिनियम की धारा 5-ए के संदर्भ में तात्कालिकता के संबंध में निभाई जाने वाली शर्त की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा लगता है कि सीमा अवधि प्रदान करने का उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति को असुविधा से बचाना है जिसकी भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की जाती है। अधिसूचना की तारीख से मुआवजे का निर्धारण धारा 4 (1) के तहत किया जाता है। धारा 11 में कहा गया है कि भूमि का मूल्यांकन धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से किया जाना है। धारा 23 क्षतिपूर्ति निर्धारण में विचार किए जाने वाले मामलों से संबंधित है। यह

प्रदान करता है कि बाजार मूल्य अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन तिथि के संदर्भ में भूमि तय किया जाना है। इसलिए, उस पृष्ठभूमि में समय-सीमा का निर्धारण प्रकृति में आकस्मिक है। राम चंद बनाम भारत संघ (1994) 1 एस. सी. सी. 44 में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, एक उचित समय के भीतर कार्रवाई वांछित थी। उक्त मामला विवाद से संबंधित था जो विशिष्ट अवधियों के प्रिस्क्रिप्शन से पहले उत्पन्न हुआ। घोषणा को रद्द करने के बाद, वही अप्रचलित हो गया और नष्ट हो गया। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नई घोषणा जारी करने पर कोई रोक नहीं है। हालाँकि, यह तर्क दिया जाता है कि यदि एक नई अधिसूचना जारी की जानी है, तो अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत बाजार मूल्य नई अधिसूचना के आधार पर निर्धारित होना चाहिए और यह राज्य के लिये एक महंगा मामला हो सकता है। भले ही ऐसा हो, जिस व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण करने की कोशिश की जाती है उसके हित की जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। उसे अपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा दिया जाना है। अगर जो अधिग्रहण करने की मांग की गई है वह अतार्किक, अवैध या अनियमित तरीके से किया गया है, तो उस हिसाब से उसे पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

.....

14. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय अदालत केवल कानून की व्याख्या करती है और इसे कानून नहीं बना सकती। यदि कानून के किसी प्रावधान का

दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अधीन किया जाता है, तो इसे संशोधित करना, संशोधित करना या निरस्त करना विधायिका का काम है, यदि- आवश्यक समझा जाता है। (ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड वी. पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड देखें) विधायी मामला अवज्ञा न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। धारा 6 (1) की भाषा सरल और असंदिग्ध है। इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि नरसिम्हा मामले में किया गया था। नंजुदैया मामला में समय पाने के लिए अवधि को उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से और बढ़ाया गया था। इस तरह के दृष्टिकोण का धारा 6 (1) की भाषा के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है। यदि विचार स्वीकार किया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि एक मामला न केवल धारा 6 (1) के परंतुक का खंड (i) और/या खंड (ii) द्वारा कवर किया जा सकता है, बल्कि गैर-निर्धारित अवधि द्वारा भी। यही कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता है।

*****

16. टकटकी निर्णय सिद्धांतों की प्रयोज्यता से संबंधित याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। चिन्नाथांबी गौंडर बनाम तमिलनाडु सरकार ए. आई. आर. 1980 मैड 251 (1980) 2 एम. एल. जे. 269 (एफ. बी.) में निर्णय 22-6-1979 को अर्थात 1984 अधिनियम द्वारा संशोधन से बहुत पहले प्रस्तुत किया गया था। यदि विधायिका उन मामलों में जीवन का एक नया पट्टा देने का इरादा था जहाँ धारा 6 के तहत घोषणा राद की जाती है, तो ऐसा कोई काराण नहीं है कि वह ऐसा विशेष रूप से प्रदान करके क्यों नहीं कर सकती थी। यह तथ्य कि विधायिका विशेष रूप से ठहरने या निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि को प्रदान किया गया से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई अन्य अवधि को बाहर करने का इरादा नहीं था और अय्ह कि इसके लिए सीमा की कोई अन्य अवधि प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण बेंच द्वारा प्रचारित माक्सिम एक्टस क्यूरी निमेनेम ग्रेवबिट इस इस मामले की तथ्य स्थिति पर बिल्कुल लागू नहीं होती है।

11. डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में अधिसूचना के साथ-साथ पद्म सुंदरा राव पर घोषणा को रद्द करने की भविष्यवाणी की है, जिसका दुर्भाग्यवश पिछली डिवीजन बेंच पालन करने में विफल में रही। पद्म सुंदरा राव में संवैधानिक पीठ के निर्णय में माना कि धारा 6 (1) की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, और समय अवधि को खींचा नहीं जा सकता है क्योंकि यह विधायी मंशा के अनुकूल नहीं होगा। अपीलार्थी राज्य का यह तर्क कि

घोषणा दिनांकित 30.12.2004 प्रारंभिक घोषणा की निरंतरता है इस प्रकार स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि इस तरह का निष्कर्ष पद्मा सुंदर राव द्वारा निर्धारित समय की सख्त व्याख्या के आडे आएगा। यदि विधानमंडल ने इस तरह की निरंतरता की अनुमति देने का इरादा किया होता, तो वह विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करके ऐसा करता, जैसा कि उसने ठहराव और निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए किया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता राज्य एक त्रुटिपूर्ण आदेश पर भरोसा नहीं कर सकता है जिसने उत्तरदाताओं के अधिकारों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया। कानूनी सिद्धांत का उल्लेख करना उचित होगा कि किसी भी पक्ष को न्यायालय की गलती के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। चूंकि मुआवजे की गणना धारा 4 अधिसूचना की तिथि पर भूमि के मूल्य के आधार पर की जाती है, डिवीजन बेंच का आदेश दिनांक 12.1.200 के परिणामस्वरूप भूमि मालिकों को 2001 की दरों पर मुआवजा मिलना था, भले ही अंततः 2006 में पुरस्कार पारित किया गया और उत्तरदाताओं को मुआवजे का भुगतान किया जाना बाकी है। यदि डिवीजन बेंच द्वारा केवल घोषणा के आदेश को ही रद्द कर दिया गया होता, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण अधिग्रहण समाप्त हो जाता, तो अपीलार्थी राज्य को अधिग्रहण कार्यवाहियों को फिर से शुरू करना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओ को उस समय नई अधिसूचना के अनुसार वर्तमान बाजार दरों पर मुआवजा प्राप्त मिल जाता। इसलिए हम पाते हैं कि घोषणा दिनांकित 30.12.2004 को केवल पूर्ववर्ती

खण्डपीठ का त्रुटिपूर्ण और प्रतिकूल आदेश के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

हम आलोच्य निर्णय में उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत हैं और परिणामस्वरूप अपील को खारिज करते हैं।

2011 की सी. ए. सं. 459-460

12. हमारी राय है कि मुद्दों का सार याचिकाओं के इस समूह में विचाराधीन याचिकाएं उन याचिकाओं के समान हैं जो 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 1123 में हैं जिस पर 2011 की सिविल अपील संख्या 318 में हमला किया गया है, इस अंतर को छोड़कर कि यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है जिसने अपील दायर की है। उस प्रकाश में, पूर्ववर्ती अपील में किए गए निष्कर्ष इस समूह की अपील पर भी पूरी तरह से लागू होते है, और समान शर्तों में तय किए जाते हैं।

2011 की सी. ए. सं. 461-462

13. इन अपीलों में तथ्यात्मक परिदृश्य 2011 की सिविल अपील सं. 318 से अलग है उसमें प्रतियोगी उत्तरदाताओं को मुआवजे का भुगतान किया गया, जिनकी भूमि अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरन के कब्जे में है। भू अर्जन, पुनर्वास और पुनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 यह स्पष्ट करती है कि किसी अधिग्रहण की अंतिमता प्राप्त करने के लिए तीन आवश्यकताएँ हैं- पुरस्कार,

मुआवजे का भुगतान और कब्ज़ा लेना, जो सभी यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा, इन अपीलों में प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थी डिवीजन बेंच के समक्ष अपने दिनांकित 12.3.2008 निर्णय में पक्षकार नही थे। जैसा कि उस निर्णय में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि यह विवादित अधिग्रहण से प्रभावित सभी भूमि मालिकों पर लागू होगा, यह इसमें उपस्थित पार्टियों के लिये उन कारणों से सीमित दायरे में था जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि इन अपीलों में प्रतिभागी उत्तरदाताओं ने अधिग्रहण को चुनौती देने के लिये रिट याचिकाएं केवल निर्णय पारित तिथि 12.3.2008 के बाद दायर की थीं। हम पाते हैं कि निर्णय तिथि 12.3.2008 तक, इन उत्तरदाताओं ने अधिग्रहण स्वीकार किया था और इसे अंतिम होने दिया था, और इसलिए वे एक ऐसे निर्णय पर भरोसा करके इसे चुनौती देने की कोशिश नहीं कर सकते जो उनके लाभ के लिए आश्वस्त नहीं था।

14. सिविल अपील सं. 462 में दिनांकित 12.4.2013 के आदेश के अनुसार कई प्रोफार्मा सन्योजित किये गये थे, और हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उनकी भूमि के संबंध में अधिग्रहण अंतिम हो गया है। हालांकि, इन प्रोफार्मा उत्तरदाताओं ने 2010 में रिट याचिका दायर करके पहले अधिग्रहण को चुनौती दी, यानि, दिनांक 12.3.2008 के फैसले के काफी बाद। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन उत्तरदाताओं ने भी शुरू में अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए सहमति दी थी और केवल इसे एक अनुकूल

निर्णय पर भरोसा करने के लिये देर से चुनौती दी जो उनसे संबंधित नहीं था। 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या. 7066 में दिनांकित 12.5.2008 और 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 7353 में 13.5.2008 साथ ही 2010 की सिविल रिट याचिका संख्या 163 में दिनांकित 19.1.2010 में विवादित आदेश इस प्रकार दरकिनार कर दिए जाते हैं, और तदनुसार इन अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक बृजेश कुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।